बिहार विधान-सभा वादवृत

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार, तिथि 29 जुलाई, 1982

विषय-सूची पृष्ठ

अध्यक्षीय घोषणा निर्देलीय सदस्यों का भा० ज० पा० में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में। 1

स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं (अस्वीकृत) 2-3

शून्यकाल की चर्चाएं : 3—7

(क) कटाव-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य 3
(ख) सड़क का निर्माण 3
(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनियमितता 3-4
(घ) भूमि हदबंदी से अधिक जमीन का बंटवारा .. 4
(ङ) अवर निबंधक का पदस्थापन 4
(च) सड़क का पक्कीकरण 4-5
(छ) सिंहभूम जिला में राहत कार्य 5
(ज) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अनियमितता .. 5
(झ) कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति 6
(ञ) पुलिस द्वारा छापामारी 6-7

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकारी वक्तव्य : 7—15

(क) सादिकपुर-पभेड़ा-मसौढ़ी सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण 7—10
(ख) महिला के साथ बलात्कार 11
(ग) प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई। 11—14
(घ) गन्ना के बकाये मूल्य का भुगतान 14-15

अध्यक्ष—शांति, शांति। खड़े होकर मतदान का फल इस प्रकार है :—

'हां' के पक्ष में—82
'ना' के पक्ष में—118
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सरकारी विधेयक: बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 (1982 की वि०सं०23)

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी।

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार हो।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य, श्री राम लषण राम "रमण" का जनमत जानने के लिये प्रस्ताव है। माननीय सदस्य मूव कर दें।

श्री राम लषण राम "रमण"—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 तिथि 5 अगस्त 1982 तक जनमत जानने के लिये परिचारित हो।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य, श्री राम लषण राम "रमण"। दूसरा और तीसरा प्रस्ताव आपका ही है। वह नहीं हो सकता है।

श्री राम लषण राम "रमण"—अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रवर समिति या प्रवर समिति में एक तो हो सकता है।

अध्यक्ष—नहीं हो सकता है।

(अंतराल)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

विधान-परिषद से प्राप्त संदेश।

सभा-सचिव—महोदय, "बिहार विधान-परिषद से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है कि तिथि 28 जुलाई, 1982 की बैठक में बिहार विधान-परिषद् ने बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1982 पर जो विधान-सभा द्वारा तिथि 27 जुलाई, 1982 को पारित हुआ था, विचार किया तथा बिना किसी सिफारिश के उस पर सहमति प्रदान की।"

विधानकार्य:—सरकारी विधेयक: बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 (1982 की वि०सं० 23)

श्री राम लषण राम "रमण"—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया है कि इसे जनमत जानने के लिये परिचारित कराया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये ऐसा कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालयों में हरिजन आदिवासियों शिक्षक की नियुक्ति में जो आरक्षण का कोटा पूरा होना चाहिये वह आज तक नहीं हो पा रहा है। वह इसलिये पूरा नहीं हो पा रहा है कि पहले जो बात थी कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिये हरिजन आदिवासी की न्यूनतम योग्यता स्नातक में तृतीय श्रेणी की थी। लेकिन आरक्षण का कोटा नहीं दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से शिक्षक आज नियुक्त हो रहे हैं उसमें जो हरिजन आदिवासी के लिये सात प्रतिशत की छूट है उसमें इंटरमिडियेट क्लास में नियुक्ति होती है। हरिजन आदिवासी के लिये सात प्रतिशत की जो छूट है वह नहीं है। इस तरह उसमें कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय का सरकार ने पावर छिन लिया है। एफलियेशन का पावर, पोस्ट क्रियेशन का पावर और बजट पास करने का पावर छिन लिया है।